समाहरणालय, मुजफ्फरपुर
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)

–: विज्ञापन :–

समाज कल्याण विभाग, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक–1159 दिनांक–27.03.2017 के द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के चतुर्थ चरण के विस्तारीकरण के तहत् मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत विभिन्न बाल विकास परियोजना कार्यालय में अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति के फलस्वरुप सेविका/सहायिका के पद पर ग्रामीण क्षेत्रों में चयन के संबंध में समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक–990 दिनांक–05.04.2016 से प्राप्त आँगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016 के प्रावधान के अनुसार आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्ति का ब्योरा :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रिक्ति का ब्योरा			
		सेविका			सहायिका
		अतिरिक्त	मिनी	कुल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	ढ़ोली(मुरौल)	22	2	**24**	22
2	बन्दरा	30	2	**32**	30
3	कुढ़नी	113	9	**122**	113
4	बरुराज	95	7	**102**	95
5	मड़वन	36	3	**39**	36
6	काँटी	56	4	**61**	56
7	पारु	127	10	**137**	127
8	सरैया	103	8	**111**	103
9	साहेबगंज	62	5	**67**	62
10	गायघाट	60	7	**67**	60
11	कटरा	75	6	**81**	75
12	सकरा	87	7	**94**	88
13	औराई	62	5	**67**	62
14	बोचहाँ	46	5	**51**	60
15	मुशहरी ग्रामीण	72	6	**78**	72
16	मीनापुर	105	8	**113**	105
कुल		**1152**	**93**	**1246**	**1166**

1. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जमा किया जाएगा।
2. आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक–20.12.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक जमा किया जाएगा। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
3. **आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के लिए उम्र :–** आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जाएगा।
4. **शैक्षणिक योग्यता :–**आँगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कोई भी आवेदिका यदि साक्ष्य स्वरुप प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति देती है तो वह स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।

5. **मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता** :–आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरुप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रुप से रिक्ति वाले वार्ड में है और वह वहाँ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया तो उनका या उनके पति या श्वसुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।

6. **अयोग्यता** :– सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/– (बारह हजार) रूपये या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

7. **आँगनबाड़ी सहायिका के लिए अर्हता** :–आँगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। आँगनबाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/ सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। इनमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आँगनवाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताएँ आँगनवाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरुप होंगी।

8. यदि किसी केन्द्र की सेविका पद के लिए उसी केन्द्र की सहायिका भी उम्मीदवार हो और यदि वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं आयु पत्रता को पूरा करती हो तो मेधा अंक के निर्धारण में 10 अतिरिक्त अंकों का बोनस अंक उन्हें देते हुए मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।

9. किसी केन्द्र पर चयन से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय/किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन रहने/किसी स्तर के जाँच में होने पर उसके फलाफल से सेविका/सहायिका पद पर किया गया चयन प्रभावित होगा।

10. चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग(जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए) को मेधा अंक के प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जाएगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रीक उत्तीर्ण आँगनबाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग(अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा।

11. संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिकाओं को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर विभागीय मार्गदर्शिका यथा समय–समय पर संशोधित का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण कराएँगी तथा स्वयं पर्यवेक्षण करेंगी। विभागीय मार्गदर्शिका का अक्षरशः अनुपालन नहीं होने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व्यक्तिगत रुप से जिम्मेवारी होंगी।

11. रिक्ति संबंधी विस्तृत विवरणी जिला के बेवसाईट www.muzaffarpur.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1892 /प्रो0, दिनांक 19/11/18

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन ही आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित विस्तृत विवरणी(पंचायतवार/वार्डवार/केन्द्रवार) वर्ग बहुलता के साथ कार्यालय के सूचनापट्ट पर चिपकाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संलग्न विस्तृत सूची को जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।